

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002.

F.8-264/2003 (CPP-I)

December, 2003

23 DEC 2003

The Registrar,
Ch. Charan Singh University,
Meerut

Sub:- List of Colleges prepared under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956-Inclusion of New Colleges.

Sir,

I am directed to refer to the letter No. IMS/DGO/2003/3571 dated 22-08-2003 received from the Institute of Management Studies, Ghaziabad on the subject cited above and to say that the name of the following College has been included in the list of Colleges prepared under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 under the head Non-Government Colleges teaching upto Post-Graduate Degree:-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Institute of Management Studies, G.T. Road, <u>Ghaziabad-201 009.</u>	1990	The College is not eligible to receive Central assistance. The UGC has yet not finalised the details to provide financial assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956 to the self financed Colleges.

Sms 54
17-009

ole

Yours faithfully,

UG 23/12/03
(Mrs. Urmil Gulati)
Under Secretary

Copy to:-

1. The Principal, Institute of Management Studies, G.T. Road, Ghaziabad-201 009
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001.
3. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau, 35, Ferozshahi Road, New Delhi-110 001.
4. All Sections, UGC, New Delhi.
5. Section Officer, PD-III Section, UGC, New Delhi-110 002.
6. Chancelor

ole
23/12



23/12/03
Prem Chandra
Section Officer

सी० नं०- 40(3)/विद्यार्थन/सहारनपुर/90-91/सी० आ० अ० सी०

कार्यालय
आयुक्त आशुक्त,
मेरठ ।

22/12/22

दिनांक: 11-12-90

नाम व पता क्या है

~~इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, सहारनपुर, 3/287 सुकलपुरा~~
~~नैरी बाग, सहारनपुर~~

दिनांक 26-9-1990

आयुक्त आशुक्त को न्याय/संस्था द्वारा आशुक्त से आयुक्त अधिनियम, 1961 की धारा 12 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य में अपना पंजीकरण आवेदन पत्र निर्धारित समय के भीतर ~~दिन देरी से प्रस्तुत किया है ।~~ ~~न्याय/संस्था ने देरी से पंजीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पंक्षित कारण दिये थे -~~ ~~कार्यालय देरी उभा की गयी है । देरी से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध पंक्षित कारण नहीं दिये हैं ।~~ ~~इसलिए आवेदन पत्र अस्वीकृति किया जाता है ।~~

2- आवेदन पत्र की कार्यालय में लगे गये धारा-12 §क§ के अधीन आवेदन पत्र रजिस्टर में क्रम सं० 1/सहारनपुर/90-91 पर प्रविष्ट की गई है ।

~~आयुक्त आशुक्त~~
आयुक्त आशुक्त,
मेरठ ।

आयुक्त आशुक्त की भोडक:-
प्रतिलिपि प्रेषित :-

- 1- न्याय/संस्था
उक्त अनुरोध है कि कृपया यह बतायें कि क्या न्याय/संस्था आयुक्त सूची में है यदि ऐसा हो तो कृपया स्याई लेखा संख्या भी बतायें ।
- 2- ~~सहारनपुर~~ आयुक्त अधिकारी ~~आशुक्त, सी० आ० अ० सी०~~ सहारनपुर बोर्ड/सर्किल को न्याय/संस्था से प्राप्त लेखा विवरण तथा संगठन की एक प्रति आदि संलग्न करते हुए । कि यथा आवश्यक कार्यवाही करें ।
- 3- निम्नीसी संलग्नक आयुक्त ~~आशुक्त~~ देहरादून को आवश्यक कार्यवाही के लिए ।

[Signature]
आयुक्त अधिकारी
§केन्द्रीय न्याय/संस्था शाखा§
आयुक्त आशुक्त, मेरठ ।